

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई
निविदा सूचना

क्रमांक // 65/ज.प्र.वि./न.नि./2021

भिलाई, दिनांक 22/07/2021

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से सभी सम्बन्धित एजेन्सी/फर्म/टेंकेदार से भण्डार क्य नियम अंतर्गत निम्नांकित कार्य हेतु दिनांक 13.08.2021 को सायं 5.30 बजे तक मुहरबंद निविदा निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा दिनांक 16.08.2021 को प्रातः 11.00 बजे खोली जावेंगी, निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन दिनांक 11.08.2021 को सायं 5.30 बजे तक, 77 एम.एल.डी. जलशोधन संयंत्र के कार्यालय में निर्धारित राशि के साथ आवेदन स्वीकार किये जावेगा।

नोट :- निविदा दर अंको एवं शब्दों में अंकित करें तथा लिफाफा में पत्र व्यवहार का पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर लिखा जावें।

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	टेंकेदार की श्रेणी	फार्म	निविदा
1.	77 एम.एल.डी. एवं 66 एम.एल.डी. जलशोधन संयंत्र के लिए चुना पावडर प्रदाय करने का कार्य।	4,25,000.00	12750.00 का डी.डी.	750.00	15 दिन	-	फार्म सी	प्रथम निविदा

नियम एवं शर्तें:- 1. निगम में निविदाओं से बंधित टेंकेदारों/एजेन्सी की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। 2. दरें समस्त कर जोड़कर दिया जाना होगा। पृथक से किसी भी प्रकार के कर का भुगतान नहीं किया जावेगा। 3. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। 4. निविदा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेंगे। 5. निविदा धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबन्धित टेंकेदार के नाम से संयुक्त डी.डी. ऑफ लाईन लिफाफा में जमा करना होगा। उक्त कार्य के लिये जीवित टेंकेदारी ई-पंजीयन, व्यवसायिक कर पंजीकृत, पेन कार्ड की सत्यापित प्रति भी लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना है, एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। 6. कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। 7. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 8. शासन के आदेश क्रमांक 19 दिनांक 04.06.2016 के सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 10% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि का 90% राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. जो कि, आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई के नाम पर देय होगा, मांग तिथि से 15 दिनों के समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा, इसके अलावा बैंक गारंटी आदि मान्य नहीं की जावेगी। 09. प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, धरोहर राशि राजसात की जावेगी तथा काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी। 10. यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा। 11. उक्त कार्य के लिए प्रपत्र में अंकित अनुसार धरोहर राशि जमा करें एवं समायोजन की कार्यवाही नहीं होगी। 12. किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। विस्तृत जानकारी नगर निगम भिलाई की वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com अथवा संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in एवं वीप्स की वेबसाईट eproc.cgstate.gov.in से भी डाउनलोड की सकती है।

कार्यपालन अभियंता
जलकार्य

77 MLD जलशोधन संयंत्र

1st बंटालियन के सामने
नगर पालिक निगम, भिलाई